(1)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र04/र0वि0अधि0–01/12 – 2331 खाद्य, पटना/दिनांक – 13/4/2012

प्रेषक,

ए0 के0 सिन्हा,
विकास आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– रब्बी विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत गेहँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्ययोजना एवं निर्देश के सम्बन्ध में ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि रब्बी मौसम – 2012 में गेहूँ के रिकार्ड उत्पादन की आशा है । इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 15 लाख मे0 टन गेहूँ की अधिप्राप्ति (न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय) का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो गत वर्ष की उपलब्धि का तीन गुणा है (जिलावार लक्ष्य की सूची संलग्न)। अतः आवश्यक है कि इस वर्ष अधिप्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था की जाय ताकि लक्ष्य तो प्राप्त हो ही, साथ ही यह सुनिश्चित हो कि क्रय किसानों से हो, व्यापारियों या बिचौलियों से नहीं । वास्तव में यह लक्ष्य प्राप्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है । अतः राज्य सरकार ने अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है । रब्बी विपणन मौसम 2012–13 के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूँ के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य 1285/–** रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम **दिनांक 15.04.12 से 31.07.12 तक** प्रभावी रहेगा ।

2. **अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें**

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है ।
- किसानों से गेहूँ क्रय की कार्रवाई मुख्यतः पैक्स के माध्यम से की जानी है ।
- वैसे पंचायत जहां के पैक्स किसी कारणवश अधिप्राप्ति हेतु सक्षम नहीं है, वैसे पंचायतों के किसानों से सीधे राज्य खाद्य निगम अपने क्रय केन्द्र के माध्यम से गेहूँ क्रय करेगा । इस प्रयोजनार्थ राज्य खाद्य निगम प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक एवं आवश्यकतानुसार इससे अधिक क्रय केन्द्र स्थापित करेगा ।
- किसानों को पूरे राज्य में एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से अनिवार्य रूप से क्रय के तुरन्त बाद भुगतान किया जायेगा । इस चेक से बैंक में तुरन्त भुगतान प्राप्त होगा ।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से दिनांक 15.04.2012 के पूर्व कर ली जाय ।

3. **लक्ष्य का निर्धारण**

इस वर्ष राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति का **लक्ष्य 15.00 लाख मे0 टन** रखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विभिन्न एजेन्सियों का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :–

(मे0 टन में)

बिहार राज्य खाद्य निगम	–	3.00 लाख
पैक्स	–	12.00 लाख
कुल	–	**15.00 लाख**

सम्यक् विचारोपरान्त रब्बी विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत जिलावार निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य इस पत्र के साथ संलग्न है । आपसे यह अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को आप अपने स्तर से प्रखंडवार, पंचायतवार निर्धारित करें, जिससे कि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त तैयारी की जा सके । उल्लेखनीय है कि गेहूँ अधिप्राप्ति का यह लक्ष्य न्यूनतम है एवं किसी जिला या अभिकरण द्वारा इस लक्ष्य से अधिक अधिप्राप्ति भी की जा सकती है ।

4. क्रय केन्द्रों का निर्धारण

रब्बी विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत किसानों से गेहूँ का क्रय मुख्य रूप से पैक्सों द्वारा किया जायेगा तथा जिन पंचायतों में गेहूँ का क्रय पैक्सों द्वारा नही किया जायेगा वहां बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रखंड में स्थापित क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा । मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेवारी पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम की है । आप यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में सभी कय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियां पूरी कर ली गई है :–

- क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण की व्यवस्था ।
- माप–तौल यंत्र की व्यवस्था ।
- Moisture Meter की व्यवस्था ।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था ।
- माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था ।
- पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था ।
- विहित प्रकिया के अनुरूप पंजियों का संधारण ।
- किसानों को अविलंब भुगतान हेतु चेक बुक के साथ चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन ।
- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये गेहूँ को निर्धारित बेस गोदाम पर पहुंचाने हेतु परिवहन व्यवस्था
- प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यो की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखंड कम्प्यूटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था ।
- पैक्स द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानों की सूची का संधारण ।
- पैक्स द्वारा अभियान चलाकर मात्र अधिप्राप्ति हेतु अस्थायी सदस्यों का नामांकन ।

कृपया यह सुनिश्चित करें के आपके जिले में उपरोक्त तैयारियों के साथ दिनांक 15.04.2012 से निर्धारित गेहूँ अधिप्राप्ति/क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाय ।

5. भंडारण की व्यवस्था

अपने–अपने जिलान्तर्गत उपलब्ध किसान भवनों को तत्काल पर्याप्त भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करा दिया जाय । साथ ही, सुरक्षित भंडारण हेतु बाजार समिति प्रांगण में बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा अस्थायी रूप से Water Proof पंडाल का निर्माण कराया जाय ताकि अधिप्राप्ति के सुचारू संचालन में कोई व्यवधान न हो । भारतीय खाद्य निगम को अपने जिलान्तर्गत बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज भवनों को उपलब्ध कराया जाय ताकि राज्य खाद्य निगम से गेहू प्राप्त कर भंडारण करने में भारतीय खाद्य निगम को कोई कठिनाई न हो । बिहार राज्य खाद्य निगम को कृपया सुनिश्चित कर लें कि दिनांक 15.04.2012 के पूर्व चिन्हित भंडार स्थल पर निम्नांकित तैयारियॉ पूरी कर ली गई हो :–

- निर्धरित माप दंड के अनुरूप डनेज मटेरियल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन / तिरपाल की उपलब्धता

- निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी
- घेरा बेन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो
- कैंप कार्यालय
- लाईटिंग की व्यवस्था
- अग्नि शामक यंत्र
- सुरक्षा व्यवस्था
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण
- प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कर्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।
  किसी भी परिस्थिति में अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ के भंडारण हेतु खुले गोदाम का उपयोग नही किया जायेगा । आवश्यकतानुसार/परिस्थिति विशेष में अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ के सुरक्षित भंडारण हेतु अस्थायी Water Proof पंडाल की व्यवस्था की जाय ।

6. <u>भुगतान की व्यवस्था</u>

कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य (MSP) का भुगतान क्रय केन्द्र पर ही एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा अविलंब किया जाय । इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–

- राज्य खाद्य निगम के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर चेक बुक एवं चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना ।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा इस सम्बन्ध में जिले या प्रखंड स्तर पर अधिप्राप्ति कार्य हेतु बैंक एकाउन्ट खोलना एवं प्रत्येक क्रय केन्द्र पर चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना
- प्रत्येक बैंक एकाउन्ट में निर्धारित माप दंड के अनुरूप पर्याप्त राशि उपलब्ध होना
- राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक जिला में कॉ–ऑपरेटिव बैंक में खाता खोलवाना जिससे कि पैक्सों द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान एकमुश्त एडवाइस भेज कर किया जा सके ।
- पैक्स द्वारा कय किये गये गेहूँ का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरन्त बाद किया जाना ।

8. <u>जिला स्तर पर प्रबंधन /अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था</u>

जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–

- जिला स्तर पर गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति की जाय ।
- अनुमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमंडल अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS- Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेजेंगे ।
- प्रत्येक प्रखंड में अधिप्राप्ति कार्य का नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला से एक वरीय उप समाहर्त्ता की प्रतिनियुक्ति की जाय ।

9. <u>बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर **Enforcement Officer** की प्रतिनियुक्ति</u>

- प्रखंड में प्रतिनियुक्त वरीय उप समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त सक्षम पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार Enforcement Certificate देने हेतु प्राधिकृत किया जाय ।

- पैक्सों द्वारा किसानो से गेहूँ क्रय करने के पश्चात् उसे राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर गेहूँ सुपूर्द करने हेतु राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति की जाय । राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे Enforcement Officer से Enforcement Certificate प्राप्त कर लें । पैक्स द्वारा किसानो से खरीदे गये गेहूँ से सम्बन्धित कागजात ही राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में पैक्सों अथवा किसानों को Enforcement Certificate देने के लिए बाध्य नहीं किया जाय ।

10. पैक्सों से गेहूँ प्राप्त करने हेतु रोस्टर की व्यवस्था

- बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों से गेहूँ लेने के लिए पैक्सों का रोस्टर तैयार कर लिया जाय ताकि पैक्सों को यह जानकारी रहे कि किस तिथि को उन्हें राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर गेहूँ पहुंचाना है । इस व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जाय कि राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से भीड़ नही लगे एवं पैक्स सुगमतापूर्वक बिना कठिनाई के राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर गेहूँ की सुपूर्दगी कर सके ।

11. गेहूँ क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जानेवाले कागजात

- भूमि सम्बन्धी दस्तावेज – अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का मालगुजारी रसीद/ किसान क्रेडिट कार्ड – इनमें से कोई एक ।
- किसानो का फोटोयुक्त पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की फोटो प्रति /किसान क्रेडिट कार्ड की फोटो प्रति/ड्राईविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज – इनमें से कोई एक ।
- बटाईदारों के लिए जमीन मालिक का उपर्युक्त भूमि सम्बन्धी दस्तावेज एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र ।
- **रब्बी विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत साफ सुथरे एवं सुखे हुए गेहूँ जिसकी नमी की मात्रा 12 प्रतिशत से अधिक न हो, की अधिप्राप्ति की जाय ।**

12. अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका

- जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी की होगी ।
- क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानो से क्रय को सुनिश्चित करना ।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयेजित कर भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ।
- पैक्स, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रों से प्रतिदिन क्रय से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को प्रतिवेदन भेजना।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को क्रय केन्द्र की स्थापना, भंडारण एवं परिवहन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना ।
- सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य पैक्सों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना ।
- राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना ।

13. अधिप्राप्ति कार्य में पुलिस अधीक्षक की भूमिका

- क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना ।